उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

IS 15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

(भूमि अर्जन अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पत्र सं0- 1731/एल0ए0सी0/ एच0क्यू0/ दिनांक : 13-02-2025

नोटिस

(उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अधीन नोटिस)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 की धारा–28 के अधीन नोटिस के माध्यम से गाजीपुर नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु **''गाजीपुर मऊ राज्य मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजीपुर''** अधिसूचित की गयी है। योजना में समाविष्ट ग्रामों के क्षेत्र की सीमाएँ निम्न प्रकार है :–

उत्तर : **खसरा संख्या–71 भाग, 117, 87, 86, 99, 102 ग्राम–जमुनादेवा, परगना, तहसील व जिला–गाजीपुर। खसरा संख्या–1001, 1000, 999, 984, 49, 41, 55 ग्राम–अंधऊ, परगना, तहसील व जिला–गाजीपुर।**

पूरब : **खसरा संख्या–128, 127, 126, 125, 122, 120, 117, 112, 109, 269, 268, 266, 263, 264, 296, 295, 298, 324, 323, 318 ग्राम–अंधऊ, परगना, तहसील व जिला–गाजीपुर।**

दक्षिण : **खसरा संख्या–315, 309, 307/2525 भाग, 947, 1046, 1113, 1122 भाग ग्राम–अंधऊ, परगना, तहसील व जिला–गाजीपुर।**

पश्चिम : **खसरा सं0–70, 63 ग्राम–जमुनादेवा, परगना, तहसील व जिला–गाजीपुर। खसरा संख्या–1091 ग्राम–अंधऊ, परगना, तहसील व जिला–गाजीपुर।**

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी–01, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 03:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू–स्वामियों पर उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट शुल्क / विकास शुल्क भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ०प्र० गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, वाराणसी–01, उ०प्र० आवास विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/ भवन/ग्राम का नाम/ खसरा नम्बर/ भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

(डा0 बलकार सिंह)
आवास आयुक्त

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें 1800-180-5333 (टोल फ्री नंबर), 0522-2236803

UPHousingBoard www.upavp.in info@upavp.com